...ायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

10

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्याः– 166 / प्रा0पत्र / 2019

1. रामकुंवार आयु 54 वर्ष आ0 श्री मन्शाराम जाति मीणा निवासी काबरी, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री महेश नामा
अप्रार्थी – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 06 / 08 / 2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 101 खसरा संख्या 3175 / 3009 रकबा 5 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 5 बीघा वाके ग्राम मालियों की झोपडिया पटवार हल्का पगांरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है व खाता संख्या 74 खसरा संख्या 160 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 161 रकबा 4 बीघा, खसरा संख्या 162 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 503 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 592 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 895 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम काबरी पटवार हल्का रोशन्दा में स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम मोहनलाल वल्द रामचन्द्र व मनस्या वल्द रामचन्द्र दर्ज किया हुआ है। उक्त इन्द्राज गलत एवं अशुद्ध है जबकि प्रार्थी के पिता का नाम मन्शाराम पिता रामचन्द्र है। प्रार्थी के पिता का सभी सरकारी दस्तावेजात, राशनकार्ड, आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड आदि में प्रार्थी के पिता का नाम मन्शाराम पिता रामचन्द्र ही दर्ज है लेकिन जमाबंदी में प्रार्थी के पिता का नाम मोहन व मनस्या गलत दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 22.02.2019 हो चुकी है। प्रार्थी के पिता मन्शाराम का मै एकमात्र वारिस हूँ। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में मोहन व मनस्या गलत दर्ज कर दिये जाने से एवं प्रार्थी के पिता के सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी के पिता का नाम मन्शाराम पिता रामचन्द्र अंकित होने व प्रार्थी का नाम रामकुंवार पिता मन्शाराम दर्ज होने से प्रार्थी उक्त भूमि पर बैंक से ऋण वगेरा व सहकारी योजनाओं का लाभ नही उठा पा रहा है और उक्त भूमियों का इंतकाल भी प्रार्थी के नाम नही खुल रहा है। प्रार्थी ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)

...त इन्द्राज मोहन व मनस्या के अंकन को विलोपित कर मन्शाराम आ0 रामचन्द्र दर्ज ...रने का अनुरोध किया तो पटवारी हल्का ने तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहां और प्रार्थी ने तहसीलदार साहब हिण्डोली व राजस्व लोक अदालत केम्प पगांरा में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त नही किया गया है और अंतिम बार राजस्व केम्प तहसील कार्यालय में लगा तो उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया इस कारण प्रार्थी श्रीमान के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का कारण दिनांक 15.09.2019 को उत्पन्न हुआ है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम काबरी व मालियों की झोपडियां, पगारां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने एवं लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी खाता संख्या 101 खसरा संख्या 3175/3009 रकबा 5 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 5 बीघा वाके ग्राम मालियों की झोपडिया पटवार हल्का पगांरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है व खाता संख्या 74 खसरा संख्या 160 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 161 रकबा 4 बीघा, खसरा संख्या 162 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 503 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 592 रकबा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 895 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम काबरी पटवार हल्का रोशन्दा में दर्ज मुस्मात मोहनलाल वल्द रामचन्द्र व मनस्या वल्द रामचन्द्र के अंकन को दुरूस्त कर उक्त के स्थान पर मन्शाराम वल्द रामचन्द्र दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 संलग्न जमाबन्दी से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 संलग्न रेकार्ड से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 वादी स्वयं सिद्व करें अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 वादी स्वयं सिद्व करे। अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 लगायत 7 कानूनी प्रकिया के बिन्दु है। अस्वीकार है। संलग्न जमाबन्दी ग्राम काबरी के खाता संख्या 74 किता 6 रकबा 8.12 बीघा में मनस्या वल्द रामचन्द्र व ग्राम मालियों की झौपडिया संलग्न जमाबंदी खाता संख्या 101 किता 1 रकबा 5 बीघा में मोहन वल्द रामचन्द्र कोम मीणा दर्ज है। संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र, पेन्शन स्वीकृत दस्तावेज, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड में वादी के नाम में मन्शाराम पि0 रामचन्द्र है। अतः जबाब वास्ते उचित निर्णय के पेश है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के पिता का सही नाम मन्शाराम वल्द रामचन्द्र कोम मीणा है, जबकि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज भूमि खाता संख्या 101 ग्राम मालियों की झोपडियां में नाम मोहन वल्द रामचन्द्र व खाता नम्बर 74 ग्राम काबरी में मनस्या वल्द रामचन्द्र दर्ज है जिसे सही कर मन्शाराम वल्द रामचन्द्र शुद्व दर्ज किया जावें। इस हेतु प्रार्थी ने उसके पिता का मृत्यु प्रमाण रजिस्ट्रीकरण संख्या

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

21006220021400008/2019, पेंशन स्वीकृति आदेश नम्बर RJ-S-023330317 पहचान त्र भारत निर्वाचन आयोग नम्बर RJ14/103/0504123, व प्रार्थी का आधार कार्ड नम्बर 774483880148 पेश किया है जिनमें प्रार्थी के पिता का नाम मंन्शाराम आ0 रामचन्द्र दर्ज है।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जवाब सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी के पिता नाम खाता संख्या 101 ग्राम मालियों की झोपडियां में नाम मोहन वल्द रामचन्द्र व खाता नम्बर 74 ग्राम काबरी में मनस्या वल्द रामचन्द्र दर्ज है जिसे विलोपित कर प्रार्थी के पिता का सही नाम मंन्शाराम वल्द रामचन्द्र कोम मीणा दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 101 ग्राम मालियों की झोपडियां में दर्ज नाम मोहन वल्द रामचन्द्र व खाता नम्बर 74 ग्राम काबरी में दर्ज मनस्या वल्द रामचन्द्र के स्थान पर मंन्शाराम वल्द रामचन्द्र कोम मीणा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली